हिन्दू धर्म की वास्तविकता
(Reality of Hindu Religion)

➢ क्या हिंदू एक समाज है ?

सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक (Myth) है 'हिंदू' शब्द अपने आप में विदेशी नाम है यह नाम मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथों से हिंदू शब्द नहीं मिलता है इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वह समान अधिकारों वाले समाज के अंग है इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता वास्तव में देखा जाए तो यह 'जातियों का समूह' (collection of castes) मात्र है इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य है।

जात–पांत का विनास – डॉ0 बी.आर.अम्बेडकर

➢ हिन्दू शब्द का अर्थ –

हिन्दू शब्द का अर्थ जानने के लिये भारत के इतिहास को जानना उतना ही आवश्यक है जितना की किसी बिमारी का इलाज करने के लिये उसकी जॉच आवश्यक होती है। चूँकि हिन्दू शब्द भारत क किसी भी धर्म व भाषा का नही है इसलिये अध्ययन व रिसर्च से पता चलता है कि यह शब्द उर्दू डिक्शनरी, फारसी डिक्शनरी और अरबी डिक्शनरी में मिलता है जिसका अर्थ गुलाम, चोर, काला व लूटेरा आदि होता है। क्योंकि जब भारत में पश्चिम दिशा से मुसलिम आक्रमणकारी अरबी, तुर्की, फारसी आदि आये तब भारत में शूद्रो की स्थिति अच्छी नही थी। एक वर्ग विशेष ने यहॉ के सीधे साधे लोगो पर अत्याचार करके उन्हे अपने अधीन कर लिया था और उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाये रखने के लिये हिंदू धर्मग्रंथों की रचना की और उन्हे शिक्षा, रोजगार व सम्पत्ति से दूर रखा। जिनको मुसलिम आक्रमणकारीयों ने हिन्दू कहा।

➢ सिन्धू से हिन्दू का सच –

बहुत सारे विद्वानो व इतिहासकारो द्वारा बताया जाता है कि अरब के आक्रमणकारी व इस्लामिक लोग 'स' को 'ह' उच्चारित करते थे जिस कारण जब वह भारत आये तो उन लोगो ने सिन्धू नदी के किनारे बसने वाले भारतवासियों को हिन्दू कहकर उच्चारित करते थे। यदि यह कथन सत्य है तब यहाँ प्रश्न खडा होता है कि क्या उन्होने केवल सिन्धू को ही हिन्दू बोलकर उच्चारित किया या अन्य शब्दो व जगहो को भी 'स' को 'ह' उच्चारित किया था यदि किया था तो वह कौन से शब्द व जगह हैं और वह शब्द व जगह कहाँ चले गये।

➢ हिन्दू धर्मग्रंथो में ''हिन्दू'' शब्द –

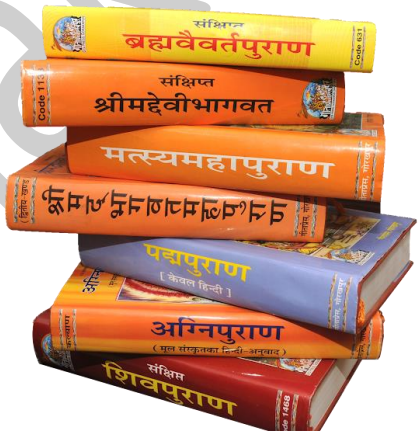

हिंदू धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण, भागवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद अन्य छोटे बड़े हिंदू धर्मग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है इसका मुख्य कारण यह है कि यह शब्द विदेशी है आर हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, संस्कृत आर्यो की भाषा है। 08 वीं–09 वीं सदी के अन्त में देवनागरी लिपि के अस्तित्व में आने के बाद आर्यो ने जब अपने धर्म ग्रन्थ लिखे तो वह संस्कृत भाषा में लिखे और इन धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से चार वर्णो का उल्लेख किया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिये हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्ही चार वर्णो का उल्लेख मिलता है।

➢ हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट –

- 25 अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने ये बात 'हिंदुत्व' को लेकर 1995 के फैसले पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कही थी

अदालत ने कहा, ''हिंदुत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है – अदालत इस समय इस विवाद में नहीं पड़ेगी, अदालत 1995 के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी और साथ ही इस स्तर पर हिंदुत्व और धर्म की पड़ताल भी नहीं करेगी''।

dhamachakra

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय सपमिधान पीठ ने ये बात कही।

• सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की टिप्पणी

1992 से पेडिंग पड़े अभिराम सिंह मामले की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार ने दलील दी कि बहुत से कैंडिडेट्स 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी अनाचार मामले में बरी हो गए हैं लेकिन मेरे मुवक्किल अभिराम सिंह पर अभी कोई फैसला नहीं आया है क्योंकि याचिका को तीन जजों की पीठ में भेज दिया गया, फिर 05 जजों की पीठ और इसके बाद 07 जजों के बेंच को भेज दिया गया है, जिसे यह फैसला करना है कि कैंडिडेंट के धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना अयोग्यता की श्रेणी में आता है या नहीं?

• पूरा मामला क्या है ?

11 दिसंबर 1995 में जस्टिस जे. एस. वर्मा की बेंच ने फैसला दिया था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के इस्तेमाल को रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल ऐक्ट की धारा–123 के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना था। 1995 के इस फैसले में हिंदुत्व को जीवन शैली बताया गया था और कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से किसी उम्मीदवार पर प्रतिकूल असर नहीं होता। 1995 के फैसले पर सवाल उठने के बाद यह मामला फिर जनवरी 2014 में पांच जजों की बेंच के सामने आया, जिसे 07 जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया था।

सोर्स – इंटरनेट

➢ हिंदू धर्म के पण्डे–पुरोहित व शंकराचार्यों के मत –

हिंदू धर्म में इतने मतभेद हैं कि बडे से बडे पण्डे–पुरोहित व शंकराचार्य भी एक मत नही है क्योकि हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ज्यादा विरोधाभाष है। कहीं राम के जन्म के लिये विवाद है तो कहीं कृष्ण के, कहीं हनुमान के तो कहीं शिव के, कहीं ब्रह्म के तो कही विष्णु के। किसी ग्रन्थ में 10 अवतार हैं तो किसी में 22, किसी में 06 अवतार हैं तो किसी में 12 अवतार हैं। हिंदू धर्म ग्रंथो में बहुत सारी बाते ऐसी हैं जो न तो आज समय के हिसाब से फिट होती हैं और न उस समय के हिसाब से फिट होती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इतना ज्यादा विरोधाभाष होने के कारण जब पण्डे–पुरोहित व शंकराचार्य आदि फसने लगते हैं तो वह शब्दों के अर्थ को तोड मरोड के पेश करते हैं।

➢ हिन्दू धर्म पर मुख्य कथन –

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ''हिन्दू एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नही''।
- आर.टी.आई के माध्यम से वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार से ''हिन्दू शब्द'' की परिभाषा पूछी गई थी, सूचना के जवाब में केन्द्र की ओर से हिन्दू शब्द पर कोई जवाब नही दिया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में ''हिन्दू शब्द'' की दोबारा व्याख्या करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि 1995 में अदालत ने जो कहा था सुप्रीम कोर्ट फिर से उस पर कोई टिप्पणी नही करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1995 में एक फैसले में कहा था कि ''हिन्दू कोई धर्म नही है बल्कि यह जीवन जीने की शैली या पद्धति है''।
- आर.एस.एस के सरसंचालक मोहन भागवत ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हिन्दू धर्म का नाम नहीं, यह दर्शन और चिंतन है।

➢ मुख्य धर्मो की तुलना –

भारत में पाये जाने वाले मुख्य धर्म यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिक्ख धर्म व हिन्दू धर्म है इन धर्मो में आपको संस्थापक, स्थापना का वर्ष या समय, स्थान व धर्मग्रन्थ मिल जायेगा लेकिन हिन्दू धर्म का कुछ नही मिलेगा। उदाहरण के लिये निम्न श्रेणीयां हैं –

dhamachakra

यहूदी धर्म –

संस्थापक – अब्राहम या इब्राहिम
स्थापना – ईसा से 2000 वर्ष पूर्व
स्थान – यूरोप
धर्मग्रन्थ – तनख

जैन धर्म –

संस्थापक – ऋषभदेव
स्थापना – ईसा से 527 वर्ष पूर्व
स्थान – बिहार (भारत)
धर्मग्रन्थ – आगम

बौद्ध धर्म (धम्म) –

संस्थापक – गौतम बुद्ध
स्थापना – ईसा से 528 वर्ष पूर्व
स्थान – सारनाथ, उत्तर प्रदेश (भारत)
धर्मग्रन्थ – त्रिपिटक, (बुद्ध और उनका धम्म)

ईसाई धर्म (क्रिस्चियन धर्म) –

संस्थापक – ईसा मसीह (येशू ख्रिस्त)
स्थापना – 01 ई.वी. ईसा के जन्म से
स्थान – जेरूसलेम, इस्त्राइल
धर्मग्रन्थ – बाइबिल

इस्लाम धर्म –

संस्थापक – मुहम्मद पैगम्बर साहेब
स्थापना – 570 ई.वी. से, मुहम्मद साहब के जन्म से
स्थान – मक्का, (सौदी अरबिया)
धर्मग्रन्थ – कुरआन

dhamachakra

सिक्ख धर्म –

संस्थापक – गुरूनानक देव जी
स्थापना – 1469 ई.वी. से, गुरूनानक देव जी के जन्म से
स्थान – पंजाब (पाकिस्तान)
धर्मग्रन्थ – गुरूग्रन्थ साहिब

हिन्दू धर्म –

संस्थापक – ?
स्थापना – ?
स्थान – ?
धर्मग्रन्थ – ?

➢ **निष्कर्ष** – ऐसा लगता है कि जब हिन्दू धर्म ग्रंथ लिखने वालो ने हिन्दू धर्मग्रंथो को लिखा तब उन्हे यह समझ नही रही होगी की इस देश में अग्रेंजी शासन काल आयेगा और शूद्रो को शिक्षा, रोजगार व सम्पत्ति रखने का अधिकार मिल जायेगा और यह देश मुसलिम व अग्रेंज आक्रमणकारीयों के हाथो से निकलकर यह मुल्क आजाद हो जायेगा। हिन्दू धर्म का सबसे ज्यादा हास करने वाले हिन्दू धर्मग्रंथ ही हैं क्योकि इसमें पाखण्ड, अन्धविश्वास और रूढिवादिता कूट–कूट कर भरी है। हिन्दू धर्म का न कोई आधार है और न ही कोई दिवार, इसलिये यह धर्म बेलगाम है।

अधिक जानकरी के लिये निम्नलिखित किताबों को अध्ययन कर सकते हैं –

- हिन्दू धर्म की रिडल – डॉ0 बी.आर.अम्बेडकर
- शूद्रो की खोज – डॉ0 बी.आर.अम्बेडकर
- क्रांति और प्रतिक्रांति – डॉ0 बी.आर.अम्बेडकर
- अछूत कौन और कैसे? – डॉ0 बी.आर.अम्बेडकर
- पुराणों में बुद्ध – डॉ0 सुरेन्द्र अज्ञात

कपिल बौद्ध (LL.B)

dhamachakra